न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—85 / 20 (2020 / 00140) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—माधवलाल पिता राधेश्याम ब्राहम्ण निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कमला पत्नि राधेश्याम ब्राहम्ण निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बद्रीलाल पिता बालु कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नोसरदेवी पुत्री बालु कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन— प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. हरिश टेलर— विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 14.10.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागोलिया पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 267 में अकिंत आराजी संख्या 1394 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 2075 / 1393 रकबा 0.03 है0 भूमियां अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एकमात्र रास्ता गांव से आने वाली बिलानाम सरकारी सड़क से होते हुए विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 1392, आराजी संख्या 2117 / 1393 की पश्चिमी पाली पर 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी में जाता है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में वर्षो से आवागमन कर फसल लाभ ले रहे है। तथा इसी रास्ते से संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि लेकर जाते है। उक्त कृषि आराजियात में उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त आवागमन का रास्ता मौके पर खुला हुआ है परन्तु विपक्षीगण आये दिन दखलदांजी कर रास्ते को बन्द कर देते है। उक्त रास्ते को छड़िया डालकर बन्द कर दिया गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम बागोलिया की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 1392, आराजी संख्या 2117 / 1393 की पश्चिमी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी गे.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षीगण को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 31.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है किन्तु आराजी संख्या 2075 / 1393 के मूल नम्बर 1393 थे जिसके विभाजन हो जाने से 2075 / 1393 रकबा 0.03 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हुई एवं आराजी नम्बर 2117 / 1393 विपक्षी नाम दर्ज हुई। प्रार्थना पत्र की कॉलम 2 ... पर कोई रास्ता नही

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 13:15:26 IST
Reason: SelfAttested

है। विपक्षीगण ने कोई रास्ता बन्द नही किया गया। प्रार्थीगण अपनी आराजी 1394 में ग्राम बागोलिया से अर्जुनगढ़ जाने वाले सरकारी रास्ते से होकर इस रास्ते से सटमा दक्षिण दिशा में बद्रीलाल एवं प्रार्थीगण के भाईबन्द की सुंयक्त खातेदारी आराजी संख्या 1391 व 1395 की पश्चिमी पाली पर होकर आराजी संख्या 1396 व 1398 रास्ते के रूप में छोड़ी गई है से होकर प्रार्थीगण आराजी संख्या 1394 में आवागमन कर रहा है। इसी रास्ते से अन्य खातेदारान भी आवागमन कर रहे है। इसके साथ ही प्रार्थीगण की आराजियात में जाने हेतु पूर्व दिशा में अर्जुनगढ़ सीमा के सहारे नहर के पास सहारे सहारे स्थित है जिससे भी आवागमन कर सकते है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु दो रास्ते मौके पर चालु है और प्रार्थीगण 1391 व 1395 की पूर्वी मेड़ के सहारे भी रास्ता प्रस्तावित किया जा सकता है। हम विपक्षीगण की आराजी में किसी रूप से रास्ता प्राप्त नही कर सकता है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि माधवलाल पिता राधेश्याम वगैरा की भूमि में आवागमन हेतु मौका एवं रेकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि में बिलानाम आराजी नम्बर 1393 से होकर विपक्षी बद्रीलाल वगैरहा की आराजी नम्बर 1392, 2717 / 1393 की पश्चिमी सीमा पर से होकर आवागमन पूर्व में किया जाना जाहिर हुआ है। उक्त रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है। रास्ते के पास विपक्षी द्वारा लोहे की फाटक लगा रखी है उक्त भूमि में फसल काश्त कर रखी है जो मौके पर रास्ता बन्द है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा विपक्षी के सामलाती आराजी नम्बर 1391, 1395 की पश्चिमी सीमा पर रास्ता हेतु भूमि छोड़कर शेष भूमि में काश्त कर रखी है जो मौके पर रास्ता प्रतीत होता है। आराजी नम्बर 1395 के पश्चिमी दक्षिणी कोने से आराजी नम्बर 1396, 1397, 1398 सम्पूर्ण आराजी नम्बर खातेदारी होकर दोनो तरफ पत्थर की दीवार होकर रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि के दक्षिण मेड़ पर स्थित है प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते में लोहे की फाटक लगा रखी है जिसके बाहर थोहर लगा रखी है जो वर्तमान में बन्द है। वर्तमान में उक्त भूमि में आवागमन बन्द है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षी के आराजी नम्बर 1392 रकबा 0.21 है0 मे से 0.01 है0 तथा आराजी नम्बर 2117 / 1393 रकबा 0.21 है0 मे से रकबा 0.0150 है0 रास्ते की भूमि बनती है। उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ाई में प्रस्तावित है जिसको नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है मौके पर उक्त भूमि सिंचित है। जिसकी डीएलसी दर से किमत सिंचति पास से 157527 प्रति बीघा से 18224 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 36448 रूपये बनती है जो विपक्षी को भुगतान की जानी है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से दर्शाया हुआ है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता हरी स्याही से दर्शाया हुआ है। उपरोक्त रास्ते के अलावा विपक्षी की भूमि के पूर्वी सीमा पर ग्राम अर्जुनगढ़ की आराजी नम्बर 123 में खातेदारी भूमि से नहर के पास रास्ता खुला हुआ है जो रेकार्ड में दर्ज नही है उक्त रास्ते के आगे करीब 50 फीट पर विपक्षी की भूमि आती है जहां रास्ता बन्द है।

प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अन्त में यह निवेदन किया कि विपक्षी की आराजी नम्बर 1392, 2117 / 1393 पूर्वी मेड़ के सहारे रास्ता देते हुए इसके एवज में जितना रकबा रास्ते में लिया जाता उतनी भूमि विपक्षी को दिलाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:15:26 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जो रास्ता आराजी नम्बर 1391 और 1395 की पश्चिमी मेड़ पर जो बताया गया है वहां राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही होकर विपक्षी की खातेदारी भूमि है जिसका रकबा अधिक बनता है। इसके अलावा ग्राम अर्जुनगढ़ की सीमा जो रास्ता दर्शाया गया है उसके पास में नहर निकल रही है जिससे आवागमन सुविधायुक्त नही है इसके साथ ही विपक्षीगण द्वारा आराजी नम्बर 1392 की पुर्वी सीमा में रास्ता देने हेतु कहा गया जो एकतरफ है जिससे विपक्षी को कोई असुविधा नही होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते बाबत् स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वाारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी नम्बर 1392 रकबा 0.21 है0 मे से 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड़ के सहारे व इसी तरह आराजी नम्बर 2117 / 1393 रकबा 0.21 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड़ के सहारे कुल 250 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 157527 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 250 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 18224 रूपये की दुगुनी राशि 36448 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को भुगतान करने पर या रास्ते की भूमि के बदले विपक्षीगण को उतना रकबा आराजी नम्बर 2075 / 1393 मे से 250 वर्गमीटर भूमि उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे विपक्षीगण को देने पर उक्त भूमि विपक्षी के नाम दर्ज की जावे एवं आराजी नम्बर 1392, 2117 / 1394 मे से पूर्वी मेड़ पर प्रार्थीगण को दिये गये रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:15:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—85 / 20 (2020 / 00140) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—माधवलाल पिता राधेश्याम ब्राहम्ण निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कमला पत्नि राधेश्याम ब्राहम्ण निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बद्रीलाल पिता बालु कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—नोसरदेवी पुत्री बालु कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी नम्बर 1392 रकबा 0.21 है0 मे से 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड़ के सहारे व इसी तरह आराजी नम्बर 2117 / 1393 रकबा 0.21 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि पूर्वी मेड़ के सहारे कुल 250 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 157527 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 250 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 18224 रूपये की दुगुनी राशि 36448 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को भुगतान करने पर या रास्ते की भूमि के बदले विपक्षीगण को उतना रकबा आराजी नम्बर 2075 / 1393 मे से 250 वर्गमीटर भूमि उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे विपक्षीगण को देने पर उक्त भूमि विपक्षी के नाम दर्ज की जावे एवं आराजी नम्बर 1392, 2117 / 1394 मे से पूर्वी मेड़ पर प्रार्थीगण को दिये गये रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 14.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

14.10.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:15:26 IST
Reason: SelfAttested